IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 28, Issue 7, Series 1 (July. 2023) 85-87
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

समाज कार्य एवं मानवाधिकार

डॉ० अनिल कुमार उपाध्याय
विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र एवं समाजकार्य विभाग
शासकीय नेहरू पी० जी० कॉलेज बुढ़ार
जिला शहडोल मध्य प्रदेश

समाज कार्य एवं मानवाधिकार में बहुत ही घनिष्ठ सम्बन्ध है। समाज कार्य व्यवसाय का उद्देश्य लोगों की सहायता करना है। मानवाधिकार का सम्बन्ध उन समस्त आर्थिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं से होता है, जिनके द्वारा एक मानवीय समाज का निर्माण होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाज कार्य एवं मानवीय सम्बन्धों के बीच बहुत कुछ एकरूपता होती है। जब कोई समाज कार्य व्यवहार मानवाधिकार पर आधारित होगा तो उसमें कोई भेदभाव या अन्य समस्याओं के उत्पन्न होने की बहुत ही कम सम्भावना होगी। मानवाधिकारों के ज्ञान के द्वारा समाज कार्य का व्यवसाय एक सहायता देने वाले व्यवसाय की भूमिका का अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से निर्वाह कर सकता है।

परिचय

मानवाधिकार समाज कार्य की नीति एवं व्यवहार का अभिन्न होता है। दुर्भाग्यवश मानवाधिकार को एक समाज कार्य व्यवसाय से जोड़ने में एक बाधा इस कारण उत्पन्न होती है कि समाज कार्य सामाजिक न्याय से भी जुड़ा हुआ है। यद्यपि सामाजिक न्याय का समाज कार्य के लिए अति महत्व है किन्तु यह समाज कार्य में कोई गाइड या निर्देश नहीं बन पाता है। (1) (रेहर्ट एलिसा वेकन 2006)। सामाजिक न्याय सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है किन्तु व्यवहार में वह अति अस्पष्ट है। इण्टरनेशनल फेडरेशन आफ सोशल वर्क इन इण्डिया, दि एसोसिएशन वर्क शोसल इन इण्डिया आदि संगठनों ने सामाजिक न्याय के दायरे से आगे बढ़कर कार्य किया है। इन संगठनों ने एक आचार संहिता के अन्तर्गत अपने को मानवाधिकार से जोड़ रखा है। (2)

मानवाधिकार एवं नीतिशास्त्र

समाज कार्य के लिए अनुशासन संहिता अपरिहार्य सी प्रतीत होती है। समाजिक कार्यकर्ता सेवार्थी, सहकर्मियों और अन्य व्यक्तियों को साथ जब अन्तर्क्रिया करता है, तो कुछ नियमों का पालन करना चाहिये। आचार संहिता इन नियमों का निर्माण करती है। (6)

नीतिशास्त्र के द्वारा एक विशेष स्थिति में उचित कार्य की दिशा में निर्धारण में सहायता मिलती हैा। समाज कार्य कुछ आधारभूत पूर्वानुमानों के परिप्रेक्ष्य में कार्य करता है :–

1. मानवीय व्यक्तित्व का आदर।
2. प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठित करना चाहे वह राजकुमार हो या भिखारी।
3. आवश्यकताओं एवं संसाधनों में संयुक्त स्थापित करना।
4. जनतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन को गति प्रदान करना।
5. बौद्धिक एवं सांवेगिक स्तर पर सहयोग के द्वारा परिवर्तन लाना।
6. एक सीमा से आगे बढ़कर परिवर्तन अभिकर्ता के रूप में कार्य करना, ताकि समुदाय या समूह के रूप में व्यक्ति यह महसूस कर सके कि परिवर्तन ऊपर से थोपा नहीं जाता है वरन् व्यक्ति समूह एवं समुदाय के द्वारा अपने आप ही परिवर्तन आता है (मिश्रा, पी0डी0 2003)।

समाज कार्य के नैतिक सिद्धान्त एवं मानवाधिकार

नैतिक सिद्धान्त		मानवाधिकार
1.	समाज कार्य का प्राथमिक उद्देश्य है आवश्यकता के समय लोगों की पहचान और उनकी सामाजिक समस्याओं का पता लगाना।	जीवन निर्वाह में मानकों को ऊँचा करने का अधिकार जो स्वास्थ्य, कल्याण एवं परिवार हेतु उपयुक्त हो, जिसके अन्तर्गत भोजन, वस्त्र, आवास, चिकित्सकीय देखभाल, स्वास्थ्य सेवायें और परिवार कल्याण से सम्बन्धित है, रोजगार का अधिकार एवं जीवन निर्वाह, मजदूरी (आर्टिकल 23), शिक्षा का अधिकार (आर्टिकल 26)
2.	सामाजिक न्याय	सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार।
3.	सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सामाजिक अन्याय को चुनौती देना होगा	भेदभाव रहित व्यवहार का अधिकार, इसके अन्तर्गत दूसरे अधिकार हैं सामाजिक और नागरिक स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा का अधिकार (आर्टिकल 1–21),
4.	किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा एवं महत्व	अनुवांशिक प्रतिष्ठा का अधिकार
5.	समाज कार्यकर्ता को प्रत्येक व्यक्ति के साथ सम्मान पूर्ण व्यवहार करना चाहिये, इस प्रकार के व्यवहार में उस व्यक्ति की सांस्कृतिक और नैतिक वैभिन्नता को भी ध्यान में रखना चाहिये और मानव सम्बन्धों को भी महत्व देना चाहिये।	प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सम्बन्ध स्थापन की स्वतंत्रता (आर्टिकल 20), प्रत्येक को विवाह करने और परिवार निर्मित करने का अधिकार (आर्टिकल 29), प्रत्येक व्यक्ति का समुदाय के प्रति कर्तव्य (आर्टिकल 29)।
6.	सामाजिक कार्यकर्ता को ईमानदारी पूर्ण और जिम्मेवारी पूर्ण ढंग से व्यवहार करना चाहिये, साथ ही उसका व्यवहार दूसरों के साथ विश्वसनीय होना चाहिए। दक्ष समाजिक कार्यकर्ता को व्यवसायिक विशेषज्ञता के विकास की आवश्यकता है।	प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा एवं अध्यापन के के माध्यम से दूसरों के प्रति आदर की भावना का विकास करना चाहिए।

मानवाधिकार एवं कमजोर समूह :

मानवाधिकार के अन्तर्गत कुछ जनसंख्या समूह के साथ भेदभाव का बर्ताव किया जाता है। ऐसे समूहों को शोषण से बचाने के लिए उनके साथ अलग तरीके का व्यवहार किये जाने की आवश्यकता है। ऐसे कमजोर समूहों को वल नरे कुल समूह कहा जाता है (रेनहर्ट एलिशवर्थ, 2006)।

कमजोर समूह के रूप में महिलायें :

समाज में सामान्यतया महिलाओं के समूह को पुरूष समूह से कमजोर समझा जाता है। समाज के विभिन्न तबकों में लिंग सम्बन्धी गैर–बराबरी व्याप्त है। (7) महिलाओं की संख्या यद्यपि समाज में पुरूषों के बराबर ही है, किन्तु उन्हें समाज में सदियों से असमानता और शोषण का शिकार होना होता है। ऐसी सच्चाई को स्वीकार करना आवश्यक होता है। मानवाधिकार के परिप्रेक्ष्य में समाज में महिलाओं की गैर–बराबरी को रोकना होगा। (3)

कमजोर समूह के रूप में बालक :

बालक भी समाज के कमजोर वर्ग में शामिल हैं। वे शारीरिक, मानसिक एवं सांस्कृतिक तथा सांवेगिक रूप से कमजोर होते हैं। यद्यपि बालकों की समस्याओं के सुधार एवं विकास हेतु कई योजनायें पूरे विश्व स्तर पर लागू है। किन्तु आज भी बालकों की एक बहुत बड़ी संख्या पूरे विश्व में शोषित और असहाय है। (8)

उपर्युक्त समूहों के अतिरिक्त मानसिक और शारीरिक रूप से अपंग व्यक्तियों का समूह, एच0आई0वी0 और एड्स पीड़ित व्यक्तियों का समूह, वृद्ध व्यक्तियों का समूह आदि कुछ अन्य समूहों को भी मानवाधिकार की दृष्टि से विशेष सहायता देनी पड़ती है।

समाज कार्य की दृष्टि से मानवाधिकारों का व्यवहार में प्रयोग :
रेनहर्ट एलिशवर्थ ने मानवाधिकारों की रक्षा एवं अभिवृद्धि हेतु समाज कार्यके निम्नलिखित हस्तक्षेपों के प्रयोग का सुझाव दिया है :–

हस्तक्षेप–1

चुनौतीपूर्ण आदेशन (अधिकार एवं शक्ति का गैर न्यायोचित प्रयोग)।

समाज में बहुत से व्यक्ति एवं समूह अपने अधिकारों का गैर न्यायोचित ढंग से प्रयोग करते हैं। (5)समाज कार्यकर्ताओं की एक प्रमुख भूमिका यह है कि ऐसे गबैर न्यायोचित व्यवहारों के विरूद्ध आवाज उठायें। इस कार्य हेतु आवश्यकतानुसार सामाजिक क्रिया की विधि का प्रयोग कर सकते हैं।

हस्तक्षेप–2

सशक्तिकरण
सशक्तिकरण का अर्थ है समाज में उम्र, वर्ग, राष्ट्रीय मूल और सामाजिक अनुस्थापन के आधार पर होने वाले भेदभाव पूर्ण व्यवहारों को समाप्त कराया जाय एवं समाज में प्रत्येक दृष्टि से गैर बराबरी के व्यवहार को मिटाया जाय। इस कार्य हेतु भी सामाजिक क्रिया की विधि का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त है।

हस्तक्षेप–3
शक्ति परिप्रेक्ष्य :
समाज में व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाईयों से ग्रस्त हो जाता हैं कुछ कठिनाईयाँ स्वयं उससे सम्बन्धित होती हैं और कुछ समाज द्वारा उस पर आरोपित की जाती है, जैसे शराब, जुआ आदि उसकी स्वयं द्वारा जनित कठिनाईयाँ हैं और दूसरों के द्वारा प्रताड़ना और उसकी सम्पत्ति का हरण बाह्य कठिनाईयाँ हैं, जो दूसरों के द्वारा लाई जाती है। (9)

समाज कार्यकर्ता इस प्रकार की कठिनाईयों के निराकरण हेतु एक तो व्यक्ति में इगो स्ट्रेन्थ भी सशक्त करते हुए उसे स्वयं सशक्त बनाता है और दूसरे सामाजिक क्रिया या समुदाय संगठन की विधि से समाज का सशक्तीकरण व्यक्तिगत रूप से लोगों की बुराईयों और दोषों के निराकरण युक्त वातावरण बना सकता है।

इण्टरवेंशन–4 :

स्त्रियों के साथ शोषण युक्त व्यवहार को रोकना –
समाज में लिंग के आधार पर शोषण एवं भेदभाव बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा हे। यद्यपि समाज में सैद्धान्तिक रूप से इसका विरोध किया जाता है। बहुत से स्थानों पर तो कानून द्वारा सेवाओं, स्त्रियों का आरक्षण तथा संसद एवं विधान सभाओं में भी आरक्षण का प्राविधान हुआ है। (4)

किन्तु इसके बाद भी मानवाधिकार की दृष्टि से भेदभाव कायम है। समाज कार्यकर्ता भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एक तो परिवार समाज कार्य के माध्यम से स्त्री एवं पुरूषों में सहयोग स्थापन कर उनका भेदभाव समाप्त कर सकता है। दूसरे सामाजिक क्रिया के माध्यम से समाज की मूल्य प्रणाली में परिवर्तन कर स्त्री एवं पुरूष को मानवाधिकार की दृष्टि से समान स्तर पर ला सकता है।

References

[1]. Friedlander, Walter; Concept and Methods of Social Work, Englewood Cliffs, N.J. Hall, 1958.
[2]. Fenwick Hden; Civil Liberties and Human Rights, Canvendish Pub. Ltd., London, 2004.
[3]. Kapoor, S.K.; International Law and Human Rights, Central Law Agency, Allahabad, 2004.
[4]. Kettner, Social Work, Macro- Practice, Arizona State University, Longman, 1993.
[5]. Mishra, P.D; Social Work, Philosophy and Methods, Inter India Pub., 2000.
[6]. Pathak C.K ; Human Rights Education, Rajat Publications, N. Delhi,2007.
[7]. Qureshi, Muniruddin; Education and Human Rights,Anmol Publication ,N.Delhi.2004.
[8]. Reichert Elisabeth, Understanding Human Rights, Sage Pub., New Delhi, 2006.
[9]. Symonides; Human Rights; International Protection, Monitoring, Enforcement, UNESCO Pub, London, 2003.